भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड

सत्यमेव जयते

सीईएन सं.05/2025 - (जेई/ डीएमएस/ सीएमए)

परीक्षा शुल्क की वापसी

रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीईएन 05/2025 के तहत जेई/डीएमएस/सीएमए के प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल हुए उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क की वापसी की प्रक्रिया शुरु कर दी है। इसके तहत अधिकांश उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क की वापसी की जा चुकी है।

परीक्षा शुल्क की वापसी की प्रक्रिया के दौरान, यह देखा गया है कि कुछ उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क वापसी गलत बैंक खाता विवरण जैसे गलत खाता संख्या, गलत IFSC कोड आदि के कारण विफल हो गई है।

जिन उम्मीदवारों के बैंक खाते की गलत जानकारी के कारण रिफांड का लेनदेन विफल हो गया है, उन्हें 01.06.2026 को एसएमएस और /या ईमेल के माध्यम से रिफांड की विफलता के बारे में सूचित किया जाएगा । इन उम्मीदवारों को अपने बैंक खाते की जानकारी सही करने में सुविधा प्रदान करने कि लिए, आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर एक बैंक खाता सुधार लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जो 01.06.2026 से 15.06.2026 तक सक्रिय रहेगा ।

उम्मीदवारो को सलाह दी जाती है कि वे रिफांड प्राप्त करने के लिए बैंक खाता विवरण में सुधार करने के इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं । इस दौरान, उम्मीदवारों को नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण देना होगा :-

इस प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपना आधार नंबर सत्यापित करना होगा । सत्यापन सफल होने पर, आधार से पहले से जुड़ा बैंक खाता स्वत: ही पुष्टि के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उपयोग धनवापसी के लिए किया जाएगा । यदि कोई बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवार को आधार बैंक खाता लिंक करने के लिए एनपीसीआई पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा और उसके बाद प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवेदन पृष्ठ पर वापस भेज दिया जाएगा । जिन उम्मीदवारों के पास बैंक खाता नहीं है, वे उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिवार के किसी सदस्य का आधार से जुड़ा बैंक खाता प्रदान कर सकते है।

कृपया ध्यान दें कि यह **अंतिम अवसर** है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी वापसी राशि प्राप्त करने के लिए आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण प्रदान करें । यदि उम्मीदवार इस अंतिम अवसर का उपयोग नहीं करते हैं, तो परीक्षा शुल्क की वापसी के संबंध में उनसे आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

अध्यक्ष

दिनांक: **01/06/2026** रेलवे भर्ती बोर्ड